To Provide N.O.C. for Registration of Land

- 503. SH. DEEPAK MANGLA, M.L.A.: Will the Urban Local BodiesMinister be pleased to state-
 - (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide N.O.C. for registration of land from Palwal Municipal Council to the residents of 13 Gram Panchayats which were included in Palwal Municipal Council 7 years ago; if so, the details thereof?

ANIL VIJ, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir,

(a) As per the provisions of section 99A of the Haryana Municipal Act,1973, the Urban Local Bodies provide the No Dues Certificate for registration of land in approved area/colony of 13 number villages which were included in the limit of Municipal Council, Palwalvide Notification No. 18/51/2013-3C1 dated 15.04.2013 (Agwanpur, Alahapur, Firojpur, NayaGaon (Fazalpur) Kithwari(Basantgarh) Islamabad/Shamshabad, Lohagarh, Ronija, Kuslipur No. 1, Kuslipur No. 2, Dholagarh(Kashipur), Raipur and Meghpur).

No Objection Certificate is not issued by Urban Local Bodies Department.

भूमि के पंजीकरण के लिए एन.ओ.सी. प्रदान करवाना

503. श्री दीपक मंगला, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या 7 वर्ष पहले पलवल नगर परिषद् में शामिल हुए जो 13 ग्राम पंचायतों के निवासियों को पलवल नगर परिषद् से भूमि के पंजीकरण के लिए एन.ओ.सी. प्रदान करने का कोई प्रस्ताव के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान जी,

(क) नगर परिषद, पलवल की सीमा में हिरयाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 18/51/2013-3क1 दिनांक 15.04.2013 के अन्तर्गत 7 साल पूर्व सम्मिलत हुये 13 गांवो (अगवानपुर, अल्हापुर, फिरोजपुर, नया गांव (फजलपुर), किठवाडी (बसन्तगढ), ईस्लामाबाद/शमशाबाद, लोहागढ़, रोनिजा, कुसलीपुर नं0 1, कुसलीपुर नं0 2, धोलागढ़ (काशीपुर, रायपुर एवं मेघपुर) के नियमित क्षेत्र/कालोनी में भूमि पंजीकरण के लिए हिरयाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 99क के तहत बेबाकी प्रमाण-पत्र (NDC)जारी किया जाता है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।